न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 620 सन 2019
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र रामु जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहयील नोहर

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 24/08/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 866/841 के खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैक भूमि वादी को दिनांक 25.01.1985 को आवंटित हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1201/1 की 1.9608हैक भूमि वादी को दिनांक 25.09.1968 को आवंटित की गई थी आवंटन के समय से ही वादी का आवंटित भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी को आवंटन की गई भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर आवंटी गैरखातेदार के रूप में दर्ज किया गया था जो लगातार चला आ रहा है जिसे वादी लगातार काश्त करता आ रहा है।

इसप्रकार वादी को आवटित भूमि रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1204/1 की 7.15 बीधा जो वर्तमान मे हाल 1204/1 की 1.9608हैक में परिर्वतन हुई थी वादी के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है और राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है।

वादी को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी आवंटित भूमि का खातेदार हो गये था किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 1204/1 की 9.608हैक जो वादी को दिनांक 25.01.1985 को आवंटन की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया गया वाद ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 866/841 के खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

भूमि वादी को दिनांक 25.01.1985 को आवंटित हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1201/1 की 1.9608हैव भूमि वादी को दिनांक 25.09.1968 को आवंटित की गई थी आवंटन के समय से ही वादी का आवंटित भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी को आवंटन की गई भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर आवंटी गैरखातेदार के रूप में दर्ज किया गया था जो लगातार चला आ रहा है जिसे वादी लगातार काश्त करता आ रहा है।

इसप्रकार वादी को आवंटित भूमि रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1204/1 की 7.15 बीघा जो वर्तमान मे हाल 1204/1 की 1.9608हैव में परिवर्तन हुई थी वादी के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है और राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है।

वादी को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी आवंटित भूमि का खातेदार हो गये था किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैव भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षेत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1204/1 की 7.15 बीघा भूमि वादी को दिनांक 25.01.1985 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है

वादी को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 1204/1 की 7.15 बीघा भूमि दिनांक 25.01.1985 को आवंटित की गई थी जो वर्तमान में हैक्टयर में परिवर्तन की जाकर रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैव में पैमुद की जाकर वादी के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है जो लगातार वादी के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा वाद भूमि वादी को आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है कब्जा काश्त के समर्थन में जमाबन्दीया/गिरदावारीया प्रस्तुत की गई जिससे वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में होना साबित है तथा पेरोकार राज ने वादी के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का उज्र ऐतराज भी पेश नही किया है

वादी का कथन है कि वाद भूमि को आवंटन दिनांक 25.01.1985 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन दिनांक 25.01.1985 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :–

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैक भूमि को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत आवटन आदेश/नामान्तकरण के अनुसार वादी का रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1204/1 की 7.15 बीघा भूमि आवटन की गई बन्दोवस्त के बाद खसरा परिर्वतन में हाल खसरा न0 1204/1 की 1.9608हैक में पैमुद की गई जिसका वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी देवीलाल पुत्र रामु जाति नायक साकिन धानसिया तहसील नोहर जो अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात उपरोक्त विवेचन /परिपत्रों/अधिसुचनाओं के परिपक्ष में वादी आवंटित की गई 1.9608हैक भूमि के किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया हाल खसरा न0 1204 की 1.9608हैक बारानी भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र रामु जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 620 सन 2022 निर्णय दिनांक – 24/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया हाल खसरा न0 1204 की 1.9608हैक बारानी भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner